

कार्यालय उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।

Div. Office at: Forest Colony (Kotbanglow) Dist. Uttarkashi, Phone & Fax 01374-222695

Email- ddgangotrinationalpark@gmail.com

पत्रांक : 348 /12-1

कोटबंगला,

दिनांकः 20, 09 202

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के त्रिपाणी से रंगमंच गाड़ तक नवीन सड़क मार्ग निर्माण हेतु 11.218 हैं0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु आई0टी0बी0पी0 परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव संख्या— FP/UK/DEF/36215/2020

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून— 248001 का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/112/2020/एफ0 सी0/1323 दिनांक 22/09/2020 जो आपको सम्बोधित है, तथा आर0ए०सी० के बैठक की आपत्ति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव, प्रयोक्ता एजेन्सी 12वीं वाहिनी भाठतिठसीठ पुलिस बल मातली उत्तरकाशी द्वारा **''नवीन सड़क मार्ग निर्माण हेतु 11.218 हैठ''** प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी 12वीं वाहिनी भाठतिठसीठपुठ बल मातली उत्तरकाशी के स्तर पर प्रश्न संo— 1 से 4 तक बिन्दुवार Objection प्रश्नों के उत्तरालेख निम्न प्रकार प्रेषित है।

	Objection Question	Answer
1-	FRA and NPV not found uploaded. State Government may upload the FRA certificate along with all its annexure at	FRA and NPV revised rate Certificate is inclosed and uploaded online and Additional Information.
2-	para K in Part I online. CA area toposheet not found upload at para 13 in part II. State Government may upload the CA area toposheet at designated palce in Part II	CA area toposheet is inclosed and uploaded online and Additional Information.
3-	CA area digital map is not authenticated by DFO uploaded at para 13 in Part II. State Govt. may upload the digital map of the area proposal CA duly authenticated by DFO	CA area digital map authenticated by DFO is uploaded online and Additional Information.
4-	CA site suitability certificate not found uploaded. State Govt may upload the CA site suitability certificate as additional information document on online portal	CA site suitability certificate will be send soon from this office
5-	No comments made by DFO in site Inspection Report at para 5.5 State Government may submit the site Inspection Report after ensuring that the comments against para 5.5	Comments made by DFO in site Inspection Report para 5.5 is cleared and uploaded online and Additional Information
6-	have been mde. मार्ग की चौड़ाई 18.00 मी0 प्रस्तावित की गई है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में निर्धारित गाईडलाईन्स प्रस्तुत करें।	CPWD have given Cetificate for the same. Copy uploaded online in Additional Information.

\\'` उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि-

male 1/17 found Thomason and I amen's asserts

निदेशक / वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।

FORM I

(For Linear Projects)

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector, Uttarkashi

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3RD August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes it is certified that 11.218 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, BRD, CPWD Uttrakhand (name of user agency) for upgradation of high altitude hill road to Indo-China border road Tripani to Rangmunch Gad Road in Uttarkashi distict falls within jurisdiction of Villages BOP Tripani village(s) in Bhatwari Gangotri National Park Tehsil.

It is further certified that:


- a- The complete process of identification and settlements of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.218 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting's of the Forest Right Committee (s), Gram Sabha (s), Sub Division Level Forest Rights Committee (s) Uttarkashi and the District Level Committee are enclosed as annexure A to B annexure...
- b- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under FRA.
- c- The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion.
- d- The discussion and decision on such proposals has taken place only when there was a quoram of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3


 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- f- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl: As above

(Full name and official seal of District Collector)

Annexure -I





S.I.R.

SITE INSPECTION REPORT-NOT BELOW THE RANK OF DCF (For the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A Proposal has been received by this office from 12th BN ITBP Matli Uttarkashi for diversion under FCA-(1980) of 11.218 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land of construction of Road from TRIPANI TO RANGMANCH. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me check the entries before forwarding. Dated 08-08-2020
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF area measuring RF COMPARMENT.No- Karcha 7b
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes
- 5.4 Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If , so the details there of -

Yes, the important species like Snow Leopard, Brown bear, Bharal etc. are found but the project is not directly affected.

- 5.5 Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If, so the details there of with NOC from competent authority, if required.
 - a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation)
 Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes
 - b) X It has been found that the user agency has violated (Conservation). Act 1980 provisions. A details report as per para 1.9 fo chapter I, para C of Hand book of forest (Conservation)Act. 1980 attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Proposal Recommended for approval subject to the provision of the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone notification Dated 18 Dec, 2012 & amendment notification Dated 16 July, 2018 & approved Zonal Master Plan of Bhagirathi Eco-Sensitive Zone regarding construction works.

Place :-Kot Bangla Uttarkashi

Date- 14 - 08 - 2020

Name-

(R. B. Singh)

Designation-Deputy-Director

Office Seal-

ोत्री सब्द्रीय पाक

N.B. 1 - State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

2- Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16.10.2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required. And for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रपत्र भाग-।। से सम्बन्धित

(ऑनलाइन प्रमाण पत्र)

परियोजना का नामः जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत सेना हेतु भारत चीन सीमा की सुरक्षा की दृष्टिकोण से त्रिपाणी से रंगमंच गाड़ तक सड़क निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षेत्रफल :--

11.218 है0 आरक्षित वन भूमि।

प्रस्ताव सं0-

FP/UK/ROAD/36215/2018

वन संरक्षण अधिनियम— 1980 के अन्तर्गत उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर तत्पश्चात संस्तुति सहित ऑनलाइन अग्रसारित किया जाता है।

> भूभि उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।

D:\Jugela_k\12-Land Transfer and Lease\CPWD Raod Proposals 30.39, 31.76, 11.218 ha\One Line form recommedation.docx



भारत सरकार कार्यालय —कार्यपालक अभियंता सीमा सड़क मंड़ल, के.लो.नि.वि, एस.एस.बी. मेन गेट के सामने ,मक्त्याना, श्रीनगर, गढ़वाल (उत्तराखण्ड़), पिन—24617 दूरभाष संख्या:— 01346—250540, 250538(फैक्स) ईमेल: eebrdsrinagar@gmail.com



संख्या:-54(3)/सी.स.मं./श्रीनगर/2018-19/32५

-दिनांक: 9 9 2019

सेवा में,

उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

विषय:—गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रान्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण सूमला—थांगला—1 रोड, मेण्डी—टीसांगचोक्ला रोड एवं त्रिपाणी—रंगमंच गाड रोड के प्रस्तावों के संबंध में।

संदंर्भ:-- आपका पत्र संख्या 101/12-1 कोटबंगला दिनांक 02.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्र के अनुसार किमयों को पूर्ण कर पुनः आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। क्रम संख्या 3 में दर्शित मक डिस्पोसल के संबंध में सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित सड़कों के लिए 18 मीटर चौड़ाई भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है लेकिन सड़क बनाने हेतु केवल 7/8 मीटर चौड़ी किटेंग कर के करीब 9/10 मीटर फौरमेशन की सड़क तैयार की जाएगी एवं किटेंग से प्राप्त बोल्डर, पत्थर, बालू से फौरमेशन के दोनो तरफ दिवार प्रोटेक्शन का निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त नाली, पुलिया एवं सड़क बनाने हेतु किटेंग से प्राप्त बोल्डर, पत्थर, बालू से सड़क की उपिर सतह (500 mm thickness) बनाई जाएगी। इसलिए फौरमेशन किटेंग से प्राप्त अधिकांश सामग्री सड़क निर्माण के प्रयोग में लाई जाएगी। बाकि बचे मिटटी के डिस्पोसल के लिए ही मक स्थल की आवश्यकता पड़ेगी जिसे वन विभाग के कंप्यूटर सैल द्वारा निर्मित डिजिटल मैप में दर्शाया गया है। उसी डिजिटल मैप के अनुरुप ही प्रस्तावित डंपिग जोन के क्षेत्रफल की गणना की गई है। इसलिए सड़को के लिए प्रस्तावित डंपिग जोन पर्याप्त है।

विनोद कुमार सिंह) कार्यपालक अभियंता सीमा सड़क मण्डल,

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः-

1. अधिक्षण अभियंता, सीमा सड़क परिमण्डल, के.लो.नि.वि, नई दिल्ली ।

जावदान जानवता, ताम तर्जन मात्रात प्रति प्रति प्रति ।
 सेनानी, 12 वीं वाहिनी, भा. ति. पु. बल, मातली, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

सहायक अभियंता, उपमंडल–2, सी. स. मण्डल, के.लो.नि.वि,धाराली, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।

ے کے '-कार्यपालक अभियंता वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के आदेश सं0—1331 / 8—1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्घारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राकल्लन ।

<u>परियोजना का नाम</u> :- उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत त्रिपाणी से रंगमंचगाड़ तक नवीन सड़क मार्ग निर्माण हेतु 11.218 हे0 वन भूमि का आई0टी0बी0पी0 को हस्तान्तरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

वृ<u>क्षारोपण स्थल का नाम</u> :- अवनत आ0 वन मूमि धनारी क0स0-18 <u>वृक्षा0 क्षे0फ0</u>:- 11.218 है0

वृक्षारोपण व्यय प्रति हैं0 (1600 पौध)						
क्र0सं0		मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	प्रथम चरण :- अग्रिम मृदा कार्य।					
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00 37705.00
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रनिंग मी0 150x0.60+0.45/2x1.20=94.50M³	1	है0	37705.00	ਵੈ0	
4	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1600	गढ्ढे	11.42	गढ्ढा	18272.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
6	पौघों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पाँलोथीन वैग पौघरोपण हेतु	1600	पौध	9.75	पौघ	15600.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।	1.0	है0	10000.00	है0	10000.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.0	है0	1000.00	है0	1000.00
	योग :- प्रथम चरण				Min	89289.00
,	द्वितीय चरण :– रोपण		· · · · ·		,, 1	000100
. 1	पौघों का रखरखाव (द्वितीय वर्ष)	1600	पौध	1.89	पौध	3024.00
2	पौध दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	1600	पौध	7.79	पौध	12464.00
3	कंकड़ पत्थर छानकर गड्ढ़ों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरान करना।(0.30×0.30×0.45)	1600	गढ्ढे	2.04	गढ्ढा	3264.00
	पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित।	1600	पौध	3.84	पौध	6144.00
5	रासायनिक खाद 25 ग्रा0 प्रति गड्ढ़ा/किटनाशक 16/–कि0	1600	पौध	1.35	पौध	2160.00
6	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1600	पौध	5.05	पौध	8080.00
	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7725.00	है0	7725.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1	है0	1700.00	है0	1700.00
1400	योग :– द्वितीय चरण		V.			45245.00
America Services	तृतीय चरण :– अनुरक्षण	प्रथम वर्ष				
	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	1600	पौध	2.53	पौध	4048.00
	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौघों की सिंचाई।	1600	पौध	1.50	पौध	2400.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग ≔		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			17432,00
	चतुर्थ चरण :- अनुरक्षण वि					F # 40
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है0	10300.00
	नेराई-गुडाई व मल्चिंग कार्य	1600	पौध	2.53	पौध	4048.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
E:\Drafts Man jay\Compensatory Afforestation Estimate (Autosaved)Sheet1 (22)						

	योग :	4011				15032.00
	पंचम चरण :- अनुरक्षण	तीतय वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृत्तीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	₹0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :-	1 300 54			7	10984.00
	षष्ठम चरण :- अनुरक्षण	चर्तथ वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
8.153	योग :-					10984.00
	सप्तम चरण :- अनुरक्षण	पंचम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :-					10984.00
	अष्ठम चरण :- अनुरक्षण	षष्ठम वर्ष				1
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	ਵੈ0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :-					10984.00
	नवम चरण :- अनुरक्षण स	ग्प्तम वर्ष			4	10000000
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	ਵੈ0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :					10984.00
	दशम चरण :- अनुरक्षण अ	ाष्ट्रम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
64	योग :-		5.4 LA			10984.00
	एकदशम चरण :- अनुरक्षण	नवम वर्ष				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
Late.	योग :-		STREET,			10984.00
	द्ववदशम चरण :- अनुरक्षण	<u>दशम वष</u> 1	है0	10300.00	है0	10300.00
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह		ह0 है0			
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	60	684.00	है0	684.00
	योग :				W.S.M.	10984.00
	कुल योग :	ETT PR				254870.00

नोट :— प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 254870.00 है किन्तु प्रमुख वन सरंक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून आदेश सं0—972/3—5—2 दिनांक 21.11.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0—3,37,184.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति0 वृक्षा0 की धनराशि मु0—3,37,184.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 3,3

3,37,184.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल =

11.218 है0 x 1 = 11.218 है0

समतुल्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि =

11.218× 3,37,184.00 = 3782530.11

Or Say = 37,82,530.00 Rs.

CHECKED

Draughts Man

वन क्षेत्राधिकारी हुण्डा वन राजि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

परियोजना का नाम:— 12वीं वाहिनी भारतीय सीमा पुलिस बल मातली उत्तरकाशी द्वारा त्रिपाणी से रंगमंच गाड़ तक नवीन सड़क मार्ग निर्माण हेतु 11.218 है0 वन भूमि हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है –

1.	ईको–क्लास श्रेणी –	V
2.	हरियाली का घनत्व –	0.01
3.	एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 –	6,57,000 / -
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल –	11.218 है0
5.	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि –	7,37,02,260.00

ह0/- **छर्छनदेशक** अंगोत्री संस्ट्रीय पार्क